

7-7-17

आज यह पञ्चावली राजपुसास लोक अदालत
 प्लोप्लो-डाप डेम्प ग्राम पन्नायट दोनारी पर
 पेथ डडी पञ्चावली का डावलोकन किया
 दिनांक 12/5/2017 को हरीशंकर द्वारा
 एउ प्रार्थना पत्र इस आशय का पेथ
 किया था कि परिवारी विग्राहित है
 आराजी एफ नं 7032/3353 मे ले
 1/3 भाग हिस्सा का बयनामा शकुन्तला
 पत्नी भगोरीलाल, कमला देवी पत्नी
 हरीशंकर, व मीरा पत्नी रामु गार्ति
 कुशपाट निवाली राजीपुरा उदडील
 खेपडु के ह्व में किया जा चुका है
 इजराय भी पालना नहीं की जा
 सकती है

इस न्यायालय के नियम दिनांक
 14.3.2015 की पालना कराये जाने हेतु
 शां पत्र प्रस्तुत किया गया है प्रार्थना
 पत्र इजराय को 2 साल के अन्दर
 खपय हो चुका है कथित बयनामा
 भी दिनांक 4.5.2016 को वाद डिक्री
 किया जाना प्रतीत केल है उक्त
 अवधि के दौरान सुलगाण दाप डल
 न्यायालय से जारी डिक्री के विरुद्ध
 एउ अपरे स्वाध वीवणा वापट
 कोई कार्यवाही नहीं कि जल है
 न्यायालय की डिक्री की कार्यवाही

| | | |
|----------------|----------------------------------|--|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज | नम्बर व अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये |
|----------------|----------------------------------|--|

को बिना किसी सहयोग सादेस के रोडा जाना डाले ह प्रकीट रही होता है। अतः शर्चना पर शर्क हरी सिंह दिनांक 12-5-2017 स्वारिज किया जाता है। महसुबदार सिफ्ट को इजराय की पालना हेतु निर्देशित किया जाता है।
 डेम्प के दौरान ही पटवारी क्लर दायर डक आशय डी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि उनबानी प्रकरण राधप्रसाद बनाम खरपन बाल गारि नाई सिवाली बलदेवराव के प्रकरण खड्या 18/2012 के निर्णय दिनांक 14/3/2015 की पालना राजह्व ग्राम - गला हल्लाल के नामा 0 ख 0 579 खे दिनांक 7/7/17 को खीडल की जाडट पालना की जा चुकी है। अतः शर्की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। पनावली क्लर सुभार देका काजिम कलर हो।

